

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक D/5463 /

जबलपुर, दिनांक 30/10/2021

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4117 जबलपुर, दिनांक 24.07.2021 के तारतम्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर के निम्न आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्यों को निम्न तालिका के कॉलम नं. 3 में दर्शाये पदांकित पदनाम आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.	कार्यरत नवगठित सेवा के सदस्य का नाम	पदांकित पदनाम
1	2	3
1.	श्री केदार सिंह	स्वीपर
2.	श्रीमती निशा दीक्षित	माली
3.	श्री कोमल चंद करोसिया	स्वीपर
4.	श्री रेनू मांझी	हेड माली
5.	श्री हेमंत रजक	माली
6.	श्री रमन कुमार	स्वीपर
7.	श्री दीपक सविता	माली
8.	श्री संजय पाल	माली
9.	श्री ललित माहौर	खलासी
10.	श्री लतीफ अली	खलासी
11.	कु. शिवानी कोरकू	माली
12.	श्री अनिल कुमार बाल्मीकि	स्वीपर
13.	श्रीमती ललिता बाथम	माली
14.	श्री दिलीप रजक	पम्प अटेंडेंट
15.	श्री संतोष भारद्वाज	चौकीदार
16.	श्री शिलेन्द्र कुमार सेन	चौकीदार
17.	श्री राहुल सिंह	एयर कंडीशनर अटेंडेंट


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/5464 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 30/10/2021

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेन्टर ग्वालियर(म.प्र.) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3818/स्था. ग्वालियर, दिनांक 07.10.2021 के तारतम्य में,
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.),स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल,उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 10.श्री केदार सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 11.श्रीमती निशा दीक्षित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 12.श्री कोमल चंद करोसिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 13.श्री रेनू मांझी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(हेड माली), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 14.श्री हेमंत रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 15.श्री रमन कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 16.श्री दीपक सविता, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 17.श्री संजय पाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 18.श्री ललित माहौर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(खलासी), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 19.श्री लतीफ अली, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(खलासी), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 20.कु. शिवानी कोरकू, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 21.श्री अनिल कुमार बाल्मीकि, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 22.श्रीमती ललिता बाथम, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 23.श्री दिलीप रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(पम्प अटेंडेंट), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 24.श्री संतोष भारद्वाज, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(चौकीदार), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 25.श्री शिलेन्द्र कुमार सेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(चौकीदार), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,
- 26.श्री राहुल सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(एयर कंडीशनर अटेंडेंट), उच्च न्यायालय मध्य, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु इस निर्देश के साथ कि भविष्य में सभी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य किसी भी प्रकार का कार्यालयीन पत्राचार पदांकित पदनाम लेख कर ही करें।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार प्रशासन
Ran